

Label Registration Procedure for IMFL/BEER/WINE

For the label registration of Foreign Liquor, Beer and Wine capacitance wise per label fee for IMFL is 52000 (Fifty two thousands rupees only) , for beer 35000 (Thirty five thousands rupees only) and for wine 60000 (Sixty thousands rupees for all labels) for financial year 2020-21. which is -issued by The Excise commissioner's recommendations. There is some measuring points according to Point -20 mentioned in Uttar Pradesh bottling of foreign Liquor Rules 1969 and Gazette No-434/Alcohol/ Dehradun 19 April 2001, are as follows.

- 1.) Product type should be written on the bottle. I.e. 'Whiskey' word should be written on the whiskey bottle.
- 2.) Volume of Liquor should be written on the Label.
- 3.) Strength should be written on the Label.
- 4.) 'Made in India' sentence should be written on the Label.
- 5.) Unit full Name & complete Address of distillery/bottling plant should be written on the Label.
- 6.) 'Consumption of liquor is injurious to Health' sentence in English & 'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।' in Hindi should be written on the label.
- 7.) 'For Sale in Uttarakhand only' & 'Not for sale in XYZ' here XYZ refers to the state where excise duty is not paid by the manufacturer, should be written on the Label.
- 8.) 'MRP' word should be written on the Label.
- 9.) Sufficient space should be there for Batch Number.
- 10.) Barcode should be printed there in the label.
- 11.) FSSAI code should be printed there in the label.

विदेशी मदिरा, बियर, वाइन के लेबल रजिस्ट्रेशन हेतु प्रक्रिया

विदेशी मदिरा के लेबलों के अनुमोदन के पूर्व धारिता वार प्रति लेबल रुपये ५२००० (रुपये बावन हजार मात्र), बियर हेतु प्रति लेबल रुपये ३५००० (रुपये पैंतीश हजार मात्र), एवं वाइन हेतु समस्त लेबल रुपये ६०००० (रुपये साठ हजार मात्र) (वित्तीय वर्ष २०२०-२०२१ हेतु) लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क देय होगा। जो की आयुक्त महोदय की अनुमति से किया जाता है। इसके अलावा कुछ बिंदु उत्तरप्रदेश बॉटलिंग ऑफ़ फॉरेन लिकर नियमवाली १९६९ के प्रस्तर-२० तथा उत्तराखण्ड शासन के सरकारी गज़ट सिंख्या-४३४/अल्कोहल /देहरादून १९ अप्रैल २००१ के अनुसार निम्नवत हैं।

- 1.) लेबल पर मदिरा के प्रकार (उदहारण के लिए 'Whiskey' शब्द) का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 2.) लेबल पर प्रत्याभूत मात्रा का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 3.) लेबल पर तीव्रता का उल्लेख होना अनिवार्य है।
- 4.) लेबल पर 'Made in India' अंकित होना अनिवार्य है।
- 5.) लेबल पर उत्पादन /बॉटलिंग करने वाली इकाई का पूरा नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है।
- 6.) लेबल पर अंग्रेजी भाषा में 'Consumption of liquor is injurious to health' एवं हिंदी भाषा में 'मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।' अंकित होना अनिवार्य है।
- 7.) लेबल पर 'for sale in uttarakhand only' तथा 'Not for sale in XYZ', यहाँ XYZ से अभिप्राय ऐसे राज्य से है जहा के लिए उत्पादक ने एक्साइज ड्यूटी पेड नहीं की है, अंकित होना अनिवार्य है।
- 8.) लेबल पर 'MRP' शब्द अंकित होना अनिवार्य है।
- 9.) लेबल पर बैच नंबर हेतु पर्याप्त स्थान होना अनिवार्य है।

10.)लेबल पर बार कोड मुदित होना अनिवार्य है ।